Q: स्विस संघीय न्यायालय के संगठन, अधिकार तथा कार्यों का वर्णन करें

Ans:- संघात्मक शासन में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना जरूरी है। लेकिन स्विस संविधान के निर्माता इस बात में विश्वास रखते थे कि ________ संघीय परिषद की सर्वोच्च सत्ता सौंपी जाय व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका को उसके नियंत्रण में रखी जाय। इस दृष्टि से स्विस संघीय न्यायालय अमेरिकी न्यायालय के समान स्वतंत्र नहीं है। स्विस कार्यपालिका ने वर्तमान में अपने प्रभाव को बढ़ाया है, लेकिन स्विस न्यायपालिका अभी भी स्विट्जरलैण्ड की संघीय व्यवस्था में तीसरे स्थान पर है।

निर्वाचन और कार्यकाल : स्विस संघीय व्यवस्थापिका अपने अधिवेशन में 6 वर्ष के लिए न्यायधीशों का निर्वाचन करती है। इसके 26 जज तथा 12 इनके सहायक या ~~स्थानापन्न~~ वैकल्पिक जज हैं। व्यवस्थापिका इन न्यायधीशों में से एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष नियुक्त करती है। इन्हें दो-दो वर्ष के लिए चुना जाता है तथा इन्हें दुबारा निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। स्विस संघीय व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था की गई है कि न्यायधीश पुनः निर्वाचित हो सकते हैं लेकिन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते। इसके चलते वहाँ न्यायधीश लगभग स्थायी जैसा हो गया है।

स्विस संविधान में न्यायधीशों की योग्यता के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा है कि वह प्रतिनिधि सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तथा संघीय परिषद या संघीय संसद का सदस्य न हो, न ही वह सरकारी अधिकारी के पद पर हो। एक यह बात भी ध्यान में रखी जाती है कि ~~न्यायधीशों~~ न्यायधीशों का निर्वाचन में तीनों राजकीय भाषा जर्मन, फ्रेन्च व इटालियन भाषी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। यह ठीक है कि न्यायधीशों के निर्वाचन के लिए स्विस संविधान ऐसी व्यवस्था नहीं करता है कि उसे विधि का ज्ञाता होना चाहिए लेकिन व्यवहार में यह परम्परा बन गई है कि उन्हीं व्यक्तियों को निर्वाचित किया जाता है जो आपराधिक मामलों में विशेषज्ञता के साथ

Scanned with CamScanner

करते हैं। इसका कार्यालय वाड प्रान्त के लासेन नगर में है। एफ० डुमलर का विचार है कि स्विस न्यायालयों का संगठन इस सुपरिचित धारणा पर आधारित है कि न्याय सेवाविधि के सुपरिचालन के लिए न केवल कानूनी बात की आवश्यकता है बल्कि तथ्यों को विवेकपूर्वक समझने तथा उनका मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है।

न्यायाधीशों को 53000 फ्रैंक प्रतिवर्ष वेतन मिलता है। अध्यक्ष को इसके अतिरिक्त 13600 तथा उपाध्यक्ष को 2400 फ्रैंक वार्षिक भत्ता मिलता है। कैजुअल न्यायाधीश को वेतन नहीं मिलता है उन्हें सिर्फ उन्हीं दिनों का भत्ता मिलता है जिन दिनों में वे न्यायालयों में कार्य करते हैं। न्यायाधीशों को 40 से 60 प्रतिशत तक उनके वेतन का पेंशन देने की व्यवस्था है। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।

कार्य की दृष्टि से फेडरल ट्रिब्युनल अर्थात संघीय न्यायालय को चार भागों में बांटा गया है— प्रथम, संवैधानिक कानून से सम्बन्धित विवादों के निर्णय के लिए, द्वितीय ऋण और दिवालियों से सम्बन्धित तथा शेष दो दीवानी मामलों पर विचार करती है। इसे ट्रिब्युनल दो वर्षों के लिए नियुक्त करता है। फौजदारी मामलों के लिए न्यायालय चार भागों में बंटे हैं— (1) फौजदारी (Criminal Chamber), (2) संघीय दण्ड विभाग (Federal penal Court) (3) चेम्बर ऑफ कम्प्लेन्ट्स (Chamber of Complaints) (4) तथा संवैधानिक विभाग (Court of Cessation) समय समय पर फौजदारी विभाग भ्रमणशील न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है।

क्षेत्राधिकार — संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार दो प्रकार का है 1. प्रारंभिक 2. अपीलीय।

1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को चार भागों में बाँटा जा सकता है (a) ~~दीवानी क्षेत्र~~ —